भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3997

उत्तर देने की तारीख : 12.08.2026

अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण और सशक्तिकरण

3997. श्री बापी हलदर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में मथुरापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्रों में, के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं के लिए कार्यान्वित की जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और साथ ही प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में शिक्षा और आजीविका के परिणामों में सुधार करने के लिए इन योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मथुरापुर में, विशेषकर सुदूर सुंदरबन क्षेत्र में, अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास और उनके समावेशन को बढ़ाने के लिए आगे किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देशभर में केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी तथा सिख समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करता है:

i. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देशभर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला-केंद्रित परियोजनाओं, पेयजल एवं स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का सृजन करना है।

पीएमजेवीके एक मांग-आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत परियोजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित तथा कार्यान्वित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित दक्षिण 24 परगना जिले के लिए कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं की गई है।

ii. प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) नामक एक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जो पूर्ववर्ती पाँच आजीविका योजनाओं, अर्थात् सीखो और कमाओ, USTTAD, हमारी धरोहर, नई रोशनी तथा नई मंज़िल को समेकित करके प्रारम्भ की गई है, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। इस योजना के चार घटक हैं, नामत: (i) कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, (ii) महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता, (iii) शिक्षा तथा (iv) आवश्यकतानुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के साथ समायोजन के माध्यम से अवसंरचना विकास। यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों की रोजगार क्षमता, उद्यमिता, शैक्षिक उपलब्धियों तथा आजीविका के अवसरों में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार की गई है और इसका लाभ देशभर में उपलब्ध है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

iii. मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) के माध्यम से करता है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित एक गैर-लाभकारी कंपनी है। छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति प्रबंधन पोर्टल (SFMP) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान **पश्चिम बंगाल राज्य** में लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है। MANF योजना के अंतर्गत जिला-वार आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है:

वित्तीय वर्ष	2023-24	2024-25	2025-26
लाभार्थी*	178	127	111

*लाभार्थियों की प्रति वर्ष संख्या में उन अध्येताओं को भी शामिल किया गया है, जो अपने पी.एच.डी. कार्यक्रम के आगामी वर्षों के दौरान भी अध्येतावृत्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थें।

iv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की योजनाएं

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की योजनाओं का राज्य में कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से किया जाता है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी है। उक्त एजेंसी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक उत्थान हेतु विभिन्न ऋण योजनाओं का निष्पादन किया है। यह निर्वाचन क्षेत्र मुख्यतः पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या तथा संवितरित ऋण राशि का विवरण निम्नानुसार है:

राशि लाख रुपए में

वर्ष	सावधि ऋण		सूक्ष्म ऋण		शिक्षा ऋण	
	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि
2023-24	305	171	2301	464	21	105
2024-25	274	163	4400	1178	6	22
2025-26	325	198.575	3549	989.84	13	130
कुल	**904**	**532**	**10250**	**2632**	**40**	**257**

कई लाभार्थी एवं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) उद्यमिता के माध्यम से सावधि ऋण/प्रत्यक्ष ऋण योजना का लाभ प्राप्त कर आर्थिक रूप से सशक्त बने हैं तथा शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले अधिकांश लाभार्थी विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं एवं अभियांत्रिकी, चिकित्सा सेवा, नर्सिंग आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन गए हैं।

एनएमडीएफसी की योजनाओं की पहुँच को और अधिक व्यापक बनाने तथा सुंदरबन क्षेत्र के मथुरापुर सहित देशभर में वित्तीय सहायता तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) एनएमडीएफसी की योजनाओं के अंतर्गत आय पात्रता तथा ऋण सीमा में वृद्धि की गई है।

(ii) महिलाओं के लिए विशेष रियायतों सहित रियायती ब्याज दर लागू की गई है।

(iii) जिन राज्यों में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियाँ (एससीए) कार्यरत नहीं हैं, वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

(iv) मंत्रालय द्वारा एनएमडीएफसी के माध्यम से राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की अवसंरचना एवं संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य एनएमडीएफसी की योजनाओं के कार्यान्वयन एवं सेवा-प्रदायगी में सुधार, ऋण वसूली तंत्र को मजबूत करना तथा पात्र लाभार्थियों के बीच योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता शिविरों के आयोजन को समर्थन देना है।

(v) लाभार्थियों के बैंक खाते में आधार-संबद्धता/केवाईसी के माध्यम से ऋण राशि का प्रत्यक्ष अंतरण किया जा रहा है।

(vi) स्व-सत्यापित दस्तावेजों की स्वीकार्यता के माध्यम से ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
